न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 312/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. दशरथ सिंह 2. रघुवीर सिंह 3. रामेश्वर सिंह पुत्र शैतान सिंह (जाति राजपूत, निवासी धनारी खुर्द तह0 बावडी, जिला जोधपुर)		1. निम्बाराम पुत्र रामुराम 2. मुलाराम पुत्र मालाराम 3. मांगीलाल पुत्र हुक्माराम (जाति जाट, निवासी धनारी खुर्द, तह0 बावडी, जिला जोधपुर) 4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बावड़ी आदेश क्रमांक 1000 दिनांक 27.6.18

उपस्थिति –
1. श्री उम्मेदसिंह बावरला व श्री रमेश भादू वकील अपीलांट्स
2. श्री कानाराम गोदारा, रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बावडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 के द्वारा तहसीलदार बावडी के पत्र क्रमांक 475 दिनांक 25.6.18 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नं0 11/2, 11/1, 71, 75, 75/1, 75/2, 9/3, 112, 113 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही 3.04 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के सह–खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 11/2 में से 0.06 बीघा एवं 11/1 की भूमि में से 0.07 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधान संचिका अभिलेख न्याय एवं कानून के विपरित तथा जल्दबाजी में मनमाना पारित किया गया हैं। जिसमें अपीलांट् को पक्षकार नही बनाया गया व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलांट्स के खसरान में रास्ता चालू नही है, बल्कि मौके पर रेस्पो0सं0 1 से 3 के खसरा नं0 75 व 71 में पिढीयों से रास्ता चालू हैं। उक्त रास्ता नक्शें में दर्शाया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। रेस्पो0सं0 4–तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रा0प0 में भूलवश अपीलांट्स के खसरान वर्णित हो गये। अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पो0सं0 4 द्वारा अपीलंट्स की खातेदारी भूमि में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने को आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरान में गै0मु0 रास्ता दर्ज नही करने का संशोधित आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्न खसरावार स्थायी रूप से चालू सार्वजनिक रास्ते की भूमि के विवरण में ख0नं0 11/2 में से 0.06 बीघा एवं 11/1 में 0.07 बीघा भूमि उल्लेखित है तथा नजरी नक्शे में प्रस्तावित है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त प्रस्ताव पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये की गई है। जिसमें संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 को अपीलांट के ख0नं0 11/2 व 11/1 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर